

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30072021-228623 CG-MH-E-30072021-228623

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] No. 305] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 जुलाई, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2021

- सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/26.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में,-
 - I. विनियम 2 में.
 - i. खंड (कक) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
 - "(कक) "निर्गमन बैंककार" का अर्थ है कोई अनुसूचित बैंक या बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित कोई अन्य बैंकिंग कंपनी. जो ऐसा कोई कार्य कर रहा हो या रही हो जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-
 - (i) आवेदन और आवेदन की रकम (आवेदन धनराशि) स्वीकार करना;

4193 GI/2021 (1)

- (ii) आबंटन या मांग की रकम (मांग राशि / कॉल मनी) स्वीकार करना;
- (iii) आवेदन की रकम लौटाना (रिफंड करना);
- (iv) लाभांश या ब्याज वारंटों की रकम अदा करना;"
- ii. खंड (कख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
 - "(कख) "निगमित निकाय" (बॉडी कारपोरेट) का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (11) के तहत इसके लिए दिया हुआ है;"
- iii. खंड (कङ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
 - "(कङ) निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) होने के नाते निर्गमन बैंककार के संबंध में, "नियंत्रण में परिवर्तन" का अर्थ है:-
 - (i) यदि उसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, तो ऐसे में नियंत्रण में परिवर्तन का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए विनियमों में इसके लिए दिया हआ है:
 - (ii) किसी दुसरे मामले में, निगमित निकाय के नियंत्रक हित (कंट्रोलिंग इंटरेस्ट) में परिवर्तन;

स्पष्टीकरण: उप-खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, शब्दों "नियंत्रक हित" का अर्थ है - ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, जिससे निगमित निकाय में कम से कम इक्यावन प्रतिशत तक के मताधिकार मिल जाएँ;"

- II. विनियम 3 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों "अनुसूचित बैंक द्वारा" का लोप हो जाएगा ।
- III. विनियम 6 में, खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-
 - "(ग) आवेदक एक अनुसूचित बैंक या बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित अन्य बैंकिंग कंपनी है;"
- IV. विनियम 22 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"निरीक्षण या अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

22. बोर्ड, निरीक्षण या अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन) रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह ठीक समझे, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] के अध्याय-V के तहत की जाने वाली कार्रवाई भी शामिल है ।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./171/2021-22]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, फा. सं. सेबी/एलई/7/94, 14 जुलाई 1994 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 तत्पश्चात्,
 - i. 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा
 - ii. 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 15 (अ), द्वारा
 - iii. 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 800 (अ), द्वारा

- iv. 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील)
 (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा
- v. 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा
- vi. 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा
- vii. 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1159 (अ), द्वारा
- viii. 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा
- ix. 7 सितम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1449 (अ), द्वारा
- x. 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- xi. 19 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- xii. 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-ए.आर.ओ./जी.एन./2011-12/12/21225, द्वारा
- xiii. 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- xiv. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रिजस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- xv. 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
- xvi. 29 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38, द्वारा
- xvii. 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-ए.आर.ओ./जी.एन./2018/16, द्वारा
- xviii. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- xix. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th July, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BANKERS TO AN ISSUE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

- **No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/26.**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, namely: –
- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2021.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994,
 - I. in regulation 2,
 - i. clause (aa) shall be substituted with the following, namely —

"banker to an issue" means a scheduled bank or such other banking company as may be specified by the Board from time to time, carrying on any of the activities, including:—

- (i) acceptance of application and application monies;
- (ii) acceptance of allotment or call monies;
- (iii) refund of application monies;
- (iv) payment of dividend or interest warrants;"
- ii. in clause (ab), the words and symbols "clause (7) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be replaced with the words and symbols "clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)".
- iii. in clause (ae), in sub-clause (i), the words and symbols "regulation 12 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997" shall be replaced with the words and symbols "regulations framed under clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Act".
- II. in regulation 3, in sub-regulation (1), the words "by scheduled bank" shall be omitted.
- III. in regulation 6, in clause (c), after the words "scheduled bank", the words "or such other banking company as specified by the Board" shall be inserted.
- IV. regulation 22 shall be substituted with the following, namely —

"The Board shall, after consideration of inspection or investigation report, take such action as it may deem fit and appropriate including action under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./171/2021-22]

Footnotes:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994 was published in the Official Gazette on July 14, 1994 vide F. No. SEBI/LE/7/94.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994 was amended on,
 - i. November 28, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);

- ii. January 5, 1998 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 15 (E);
- iii. September 30, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 800 (E);
- iv. March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E);
- v. May 29, 2001 by Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E);
- vi. September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E);
- vii. October 1, 2003 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1159 (E);
- viii. March 10, 2004 by Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E);
- ix. September 7, 2006 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O No.1449 (E).
- x. May 26, 2008 by Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538;
- xi. April 13, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650;
- xii. July 5, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/12/21225;
- xiii. May 23, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;
- xiv. December 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023;
- xv. March 6, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) (Regulations) 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037;
- xvi. March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) (Regulations) 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38;
- xvii. May 30, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/16;
- xviii. April 17, 2020 by Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;
- xix. May 5, 2021 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) (Regulations) 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.